



प्रेस विज्ञप्ति

17.10.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), श्रीनगर जोनल कार्यालय ने माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), श्रीनगर के समक्ष गुलाम मोहम्मद भट, तत्कालीन मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभाग (पीएचईडी), कश्मीर और चार अन्य - रजनीश बल, मोहम्मद अमीन वानी, निसार अहमद भट, और इमरान बाबा, मेसर्स बाबा एंटरप्राइजेज में भागीदार, के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत अभियोजन शिकायत दायर की है। माननीय न्यायालय ने आरोपी व्यक्तियों को पूर्व-संज्ञान नोटिस जारी किया है।

ईडी ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, श्रीनगर द्वारा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (पीएचईडी), कश्मीर के तत्कालीन मुख्य अभियंता गुलाम मोहम्मद भट और चार अन्य के खिलाफ सरकारी धन के दुरुपयोग के आरोप में दर्ज प्राथमिकी के आधार पर जांच शुरू की।

ईडी की जांच से पता चला कि पीएचईडी के आरोपी अधिकारियों ने मेसर्स बाबा एंटरप्राइजेज के साथ आपराधिक साजिश में जल निस्पंदन संयंत्रों के लिए स्पेयर पार्ट्स की खरीद के दौरान सरकारी धन का दुरुपयोग किया, जिससे सरकारी खजाने को गलत नुकसान हुआ।

ईडी की जांच से पता चला कि गुलाम मोहम्मद भट और विभागीय खरीद समिति के अन्य सदस्यों ने मेसर्स बाबा एंटरप्राइजेज के एक भागीदार इमरान बाबा की मिलीभगत से उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना मेसर्स बाबा एंटरप्राइजेज को निविदा प्रदान की और निविदा प्रदान करने के लिए विभागीय खरीद समिति द्वारा अनुचित लाभ दिया गया, अर्थात् 2,30,78,597/- रुपये मूल्य के स्पेयर पार्ट्स की अतिरिक्त खरीद के लिए अलग से निविदा जारी नहीं की गई और ठेकेदार से सुरक्षा जमा (निविदा मूल्य का 2%) नहीं लिया गया। इसके बजाय, 1 लाख रुपये की अग्रिम राशि को सुरक्षा जमा में बदल दिया गया। दूसरे ऑर्डर में, सुरक्षा जमा (दूसरे आपूर्ति ऑर्डर के मूल्य का 2%) फिर से नहीं ली गई। कुल सुरक्षा जमा 7 लाख रुपये ली जानी थी, लेकिन सुरक्षा जमा के रूप में केवल 1 लाख रुपये ही लिए गए। आवंटन आदेश में भी, सामग्री की आपूर्ति/डिलीवरी अवधि को आपूर्ति आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिनों से संशोधित कर 90 दिन कर दिया गया था, आदि।

ईडी की जांच में आगे पता चला कि मेसर्स बाबा एंटरप्राइजेज ने पीएचईडी से 3.54 करोड़ रुपये प्राप्त किए और मूल आपूर्तिकर्ता मेसर्स इंडस्ट्रियल डेवाइसेस (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली को केवल 1.55 करोड़ रुपये का भुगतान किया और शेष 1.56 करोड़ रुपये का उपयोग श्रीनगर में अचल संपत्तियों के अधिग्रहण के लिए किया गया, जैसे कि बारिनाम्बल में 18 मरला भूमि और हैदरपोरा श्रीनगर में 27.5 मरला भूमि और ईडी ने 1.56 करोड़ रुपये मूल्य की इन अचल संपत्तियों को जब्त कर लिया है।

आगे की जांच जारी है।